

73

न्यायालय माननीय राजस्व पण्डल ग्वा लियर म०-प्र०

545  
10.9.14



₹ 20

- 1- शिवकान्त मिश्रा § पिसरा न श्री आकर्षण प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम
  - 2- शिवलाल मिश्रा § बधरा तहसील सेमरिया जिला रोवा म०-प्र०
- निगरानी कर्ता गण

बनाम

- 1- श्री बीरेन्द्र कुमार तिवारी तय स्व० चन्द्रभान तिवारी निवासी ग्राम बधरा तहसील सेमरिया जिला रोवा म०-प्र०
- 2- शासनम०-प्र० ----- गैर निगरानी कर्ता गण

R-3349-10-114

श्री. कृ. प्र. ल. मिश्रा एड.  
द्वारा आज दिनांक 10-09-14 के  
प्रस्तुत किया गया।

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसील दार  
सेमरिया दिनांक 28.6.2014 वाचन प्र०क्र०  
112/स-74/2013-14

3084 सफिट कोर्ट रोवा  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०-प्र० श राजस्व  
संहिता 1959 ई०।

राजस्व पण्डल म.प्र. ग्वा लियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसील दार सेमरिया का तथा कथित आदेश बिधि एवं प्रक्रिया बिहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर निगरानी क्र० 1 के आवेदन पत्र को राजस्व प्र०क्र० 112/स-74/13-14 के रूप में भर्जीबद्ध कर सीमांकन कराने

व तथा कथित आदेश पारित करने में महान माननीय भूल करी गई है।


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3349-III/14

जिला-रीवा

शिवकांत मिश्रा/वीरेन्द्र कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
22.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	